न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ़
मुकेश कुमार बनाम संजय कुमार

मु० नं० 45/2015

5/8/23 पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी का कोर्ट फीस रूक रूक कर आबाद लगवाई गई, इससे अदालत भी उपस्थित नहीं। अतः वकील वादी व वादी की अनुपस्थिति में वादी का वाद अदद तामीली अदद पेशी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कायदे से कार्य हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर